न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– रामदेव सिंह, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 46/12 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. रज्जाक खां पुत्र भूरेखां जाति मेव निवासी ग्राम दयालपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:——— अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार, किशनगढबास

:——— असल रेस्पो0

2. अभयसिंह पुत्र मातादीन जाति अहीर साकिन देवता तह0 किशनगढबास जिला अलवर ।

:——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर दिनांक 28.9.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अजमुद्दीन खां
2. राजकीय अभिभाषक
3. वकील रेस्पो0 सं0 2 :– श्री अशोककुमार सैनी

निर्णय दिनांक 8.6.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर द्वारा अपील संख्या 12/14/12 उनवान रज्जाक खां बनाम राज0 सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.9.2012 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा अपीलांट की प्रथम अपील खारिज करते हुये तहसीलदार किशनगढबास का आदेश दिनांक 16.3.2012 बाबत बेदखली, पैनेल्टली वसूली व सिविल कारावास की सजा बहाल रखा गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मांचा तहसील किशनगढबास ने तहसीलदार को एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल0 आर0 एक्ट इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 5–22 हेक्टेयर किस्म गैर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

मुमकिन पहाड वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास में से रकबा 2 एयर पर सम्वत 2068 में गैर सायल रज्जाक खां ने मिटटी भरत, लकडी, उपला डालकर अतिक्रमण कर लिया है । इस पर तहसीलदार, किशनगढबास ने धारा 91 की कार्यवाही करते हुये अपीलांट/गैर सायल के विरूद्ध बेदखल, पैनेल्टी वसूली एवं एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 16..3.2012 पारित किया, इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट/गैर सायल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर के यहां प्रथम अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 28.9.12 के द्वारा खारिज कर दी । इससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मेरे खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही विधिविरूद्ध की गई है । मैं अपनी खातेदारी की भूमि पर ही काबिज हूं । वास्तविकता यह है कि तरतीबी रेस्पो0 अभयसिंह यादव मेरी खातेदारी की भूमि को दबाना चाहता है । इसलिये उसने मेरे खिलाफ गलत तौर पर 91 की कार्यवाही कराई है । मेरा विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । उक्त अभयसिंह ने मौका रिपोर्ट साजबाज होकर गलत कराई है । पटवारी हल्का ने भी गलत रिपोर्ट की है । विवादित भूमि ग्राम देवता में स्थित है तथा मेरी खातेदारी की भूमि ग्राम दयालपुर में स्थित है । हर दोनों तहत न्यायालयों को निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील [illegible] की जावे ।

4. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कहना है कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड है, जिस पर दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलांट का अतिक्रमण साबित है । अपीलांट आदतन अतिक्रमी है । अगर उसे किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान की गई तो इससे अतिक्रमण की प्रवृत्ति को बढावा मिलेगा । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. विद्वान वकील तरतीबी रेस्पो0 ने भी अपनी बहस में अपीलांट का अतिक्रमण होना बयान करते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया है ।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहसीलदार, किशनगढबास की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी में विवादित भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 5–22 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढवास में से रकबा 2 एयर पर अपीलांट का अतिक्रमण दर्ज किया हुआ है । मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2011 में विवादित भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया हुआ है । मौका पर्चा दिनांक 4.11.2011 में बताया गया है कि विवादित स्थल ग्राम देवता एवंस दयालपुर की सीमा पर स्थित है । विवाद 2 गांवों की सीमा का है । मौके पर पहाड एवं सडक किशनगढबास से मोठूका रोड के मध्य कुछ [illegible] भरत रज्जाक पुत्र भूरेखां द्वारा किया गया है ।

Scanned by CamScanner

7. उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 5–22 वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास की किस्म गैर मुमकिन पहाड है, जिस पर अपीलांट का सम्वत 2062 में अतिक्रमण होना साबित है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है,जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो कि अपीलांट/अतिक्रमी द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था तथा बेदखली का आदेश पारित कर उसे मौके से बेदखल किया गया था । पूर्ववर्ती बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रति एवं पूर्ववर्ती बेदखली की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है । पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करने के लिये कानूनन इन दोनों प्रमाणित प्रतियों का पेश किया जाना आवश्यक है । इन प्रतियों के अभाव में अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ किये जाने योग्य है ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर हर दोनों तहत न्यायालयों तहसीलदार, किशनगढबास के आदेश दिनांक 16.3.2012 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर के आदेश दिनांक 28.9.2012 सिविल कारावास की सजा के हद तक निरस्त किये जाते हैं तथा शेष आदेश बाबत बेदखली व पैनेल्टी वसूली यथावत रखे जाते हैं ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावलियां निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(रामदेव सिंह)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner